यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी** के माह 04/2013 से माह 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 10.12.2018 से 14.12.2018 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0 सी0 श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री कुलदीप कौल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.05.2013 से 03.05.2013 तक श्री एस0 के0 त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2006 से माह 03/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः–** इकाई द्वारा जनपद के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाया जाता है।

(ii) **(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–**

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2013-14	Nil	Nil	216.65	210.67	5.98	36.10	31.53	4.57
2014-15	Nil	Nil	223.21	214.41	8.80	713.15	694.88	18.27
2015-16	Nil	Nil	261.33	254.29	7.04	188.52	184.42	4.10
2016-17	Nil	Nil	327.00	296.23	30.77	141.70	136.80	4.90
2017-18	Nil	Nil	360.43	332.05	28.38	510.54	271.73	238.81
2018-19	Nil	Nil	326.14	282.91	43.23	170.40	121.55	48.84

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2015-16		2016-17		2017–18		2018–19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
वी0 टी0 आई0 पी0	15.60	15.60	--	--	-- --	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई ...**ब**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायें ⟶ निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायें ⟶ प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2015, 02/2018 एवं 06/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। वी0टी0आई0पी0 योजना, आई0 एम0 सी0 योजना एवं स्थापना आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 1 सार्वजनिक नीजी सहभागिता में संचालित आई. एम. सी. योजना के अन्तर्गत बिना आवश्यकता के रु0 80.94 लाख के मशीनरी एवं अन्य सहः मशीनरियों का क्रय कर अवरुद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय एक के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त के बिन्दु 13 के प्रावधानों के अनुसार अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले तथा व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पडने पर ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी के अन्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चमियाला के सार्वजनिक निजी भागीदारी में संचालित आई. एम. सी. योजना से सम्बन्धित रोकड बही, क्रय पत्रावली एवं स्टाक पंजिका आदि अभिलेखों की जॉच में पाया कि संस्थान को वर्ष 2009 में रु0 2.50 करोड की धनराशि ब्याज मुक्त कर्ज के रुप में प्राप्त हुई थी जिसके अन्तर्गत कार्यालय द्वारा योजनान्तर्गत निर्माण कार्य, मशीनरी क्रय, फर्नीचर क्रय, अतिरिक्त मानव संशाधन आदि मदों पर वर्तमान तक रु0 2.24 करोड का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों एवं स्टाक पंजिका की जॉच में पाया गया कि धनराशि रु0 80.94 लाख के मशीनरी एवं अन्य सहः मशीनरियों का मार्च 2016 एवं जून 2017 में क्रय किया गया था। इन सामग्रियों के क्रय किये जाने से एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वर्तमान तक उपयोग हेतु स्थापित नहीं की गयी थी तथा सभी सामग्रियॉ संस्थान के स्टोर में पडी थी **(विवरण संलग्न)।** इकाई द्वारा सामग्रियों को क्रय करते समय अधिप्राप्ति नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों का पालन नही किया गया था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत क्रय की गयी सामग्रियों को उनके क्रय दिनांक से एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वर्तमान तक स्थापित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त रोकड बही की जॉच में पाया गया कि विभिन्न मदों में भुगतान की गयी रु0 27306 की धनराशि के 03 वाउचर्स भी उपलब्ध नहीं पाये गये। विवरण निम्नवत् है;

क्रम संख्या	भुगतान का दिनांक	धनराशि
1	17.03.2016	7306
2	06.02.2016	10000
3	27.10.2016	10000
Total		**27306**

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सम्बन्धित सामग्री एवं मशीने फीटर ट्रेड के लिए क्रय की गयी थी। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त न होने के कारण उक्त ट्रेड प्रारम्भ नहीं किया जा सका, जिस कारण से सभी सामग्रियों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इकाई का उत्तर उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि सामग्री क्रय किये जाने से पूर्व अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उनकी आवश्यकता एवं उपयोग का आकलन किया जाना चाहिए था।

अतः सार्वजनिक नीजी सहभागिता में संचालित आई. एम. सी. योजना के अन्तर्गत बिना आवश्यकता के रु0 80.94 लाख के मशीनरी एवं अन्य सहः मशीनरियों का क्रय कर अवरुद्ध रखें जाने सम्बन्धी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी के अन्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चमियाला में क्रय की गयी तथा स्थापित न की गयी सामग्रियों का विवरण

क्र.सं.	देयक संख्या	देयक दिनांक	मदों की संख्या	धनराशि
1	19	07.03.2016	02	1275145
2	2939	29.06.2017	290	65704
3	2940	29.06.2017	46	81693
4	2941	29.06.2017	160	63703
5	2942	29.06.2017	65	80369
6	2943	29.06.2017	20	432971
7	2944	29.06.2017	51	1047142
8	2945	29.06.2017	29	182929
9	2946	29.06.2017	372	131659
10	2947	29.06.2017	157	51080
11	2948	29.06.2017	23	496230
12	2949	29.06.2017	125	477813
13	2950	29.06.2017	56	12295
14	2951	29.06.2017	93	633872
15	2955	29.06.2017	32	104454
16	1651	29.06.2017	358	108015
17	1652	29.06.2017	73	66195
18	1653	29.06.2017	70	29956
19	1654	29.06.2017	42	318944
20	1655	29.06.2017	26	27520
21	1656	29.06.2017	25	103449
22	1657	29.06.2017	27	111179
23	1658	29.06.2017	462	99212
24	1659	29.06.2017	53	71425
25	1560	29.06.2017	0	262783
26	1661	29.06.2017	20	187013

27	1662	29.06.2017	108	272559
28	1663	29.06.2017	261	102081
29	1664	29.06.2017	45	790642
30	1665	29.06.2017	36	393977
31	1670	29.06.2017	04	12316
	Total		**3131**	**8094325**

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2:– बिना शासन के अनुमति के रू 98.35 लाख का निर्माण कार्य प्राइवेट ठेकेदार से निष्पादित कराया जाना एवं कन्सलटेन्ट पर रू 5.32 लाख अतरिक्त व्यय।

उत्तराखण्ड प्रक्योरमेन्ट नियमावली 2008 के अध्याय–6 के नियम 3 ख में स्पष्ट प्रवधान है कि विनिर्दिष्ट प्रक्रिया उन सभी लोक–निजी सहभागिता (PPP) की परियानाओं पर **लागू** होगी, जिनकी पूंजीगत लागत रूपये रू 500 लाख (5 करोड़) से कम हो विद्यमान प्रक्रिया से कार्यवाही की जायेगी। प्रशासनिक विभाग, निविदा आमत्रित करने से पूर्व शासन के वित्त विभाग एवं सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करेगा। Director General, Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, Government of India डी जी आ टी नई दिल्ली योजना के अर्न्तगत संचालित 1396 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल उन्नयन (Upgration) के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थत्यूड को **लोक–निची सहभागिता (PPP)** मोड अन्तर्गत संस्थान प्रबधन समिति (आई एम सी) के उन्नयन के लिए 04/2012 में रू 2.50 करोड की धनराशि आवंटित की गयी थी। दिशा निर्देश के अनुसार योजना के अर्न्तगत रू 100 लाख तक के संस्थान के उन्न्यन के लिए **निर्माण** कार्य कराये जा सकते है।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थत्यूड के निर्माण कार्य सम्बन्धित अभिलेखो की जाचॅ में पाया गया कि संस्थान में (आई एम सी) योजना के उन्नयन के अन्तर्गत भवन 01 में वेल्डर एवं भवन 02 में फिटर कार्यशाला का **निर्माण** कार्य कराये गये। **निर्माण** कार्य खुली निविदा के माध्यम से चयनित प्राइवेट ठेकेदार से निष्पादित कराये जा रहे है। आमत्रित निविदा में, मैसर्स आर एल गौर की दर सर्वाधिक कम होने के कारण रू 98.35 लाख में कार्य स्वीकृत की गयी। आई एम सी अध्यक्ष एवं मैसर्स राम लाल गौर के मध्य एम ओ यू गठित किया गया। जिससे कार्य प्रारभ्भ करने की **तिथि** 18/08/2017 एवं समाप्त होने की **तिथि** (एम ओ यू के अनुसार 08 माह) अर्थात 18/04/2018 निर्धारित थी। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूर्ण होने की प्रावधानित **तिथि** से 06 माह अधिक व्ययतीत हो चुका है। परन्तु सम्बन्धित ठेकेदार पर किसी भी प्रकार की पेनाल्टी ठेकेदार पर भारित नही की गयी है। सम्प्रेक्षा अवधि तक (11/2018) ठेकेदार को **रू 63.38** लाख की धनराशि का भुगतान किया जा **चुका** है। इसके अतरिक्त चूकि विभाग के पास भवन निर्माण के अनुश्रवण के लिए कोई **तकनीकी** कार्मिक न होने के कारण वाह्य व्यवस्था

पर एक कन्सलटेन्ट के रूप मैसर्स मलविका आहुजा मसूरी को स्वीकृत **निर्माण** कार्य की देख रेख के लिए नियुक्त किया गया है। जिसके लिए उनको अतरिक्त रू 5.32 के सापेक्ष रू 2.36 लाख की धनराशि का भुगतान की गयी है। जबकि उत्तराखण्ड प्रक्योरमेन्ट नियमावली 2008 के अध्याय–6 के नियम 3 ख में स्पष्ट प्रवधान है कि विनिर्दिष्ट प्रकिया उन सभी लोक–निजी सहभागिता (PPP) की **परियोजनाओं** पर लागू होगी, जिनकी पूंजीगत लागत रूपये रू 500 लाख (5 करोड़) से कम हो विद्यमान प्रकिया से कार्यवाही की जायेगी। प्रशासनिक विभाग, निविदा आमत्रित करने से पूर्व शासन के वित विभाग एवं सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करेगा। इस प्रकार संस्थान द्वारा बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये ही निर्माण कार्य निष्पादित कराये गये है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि **आई एम सी की बैठक में निदेशक महोदय द्वारा दिए गये निर्देशो के क्रय में निविदा आंमत्रित कर निर्माण कार्य करवाया गया है।** उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि संस्था द्वारा प्रक्योरमेन्ट नियमावली का अनुपालन नही किया और बिना शासन की अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य कराया गया।। विभाग में कोई भी तकनीकी कर्मचारी नही है जो कार्य की **गुणवत्ता** की **जॉच** कर सकें। इसके अतरिक्त कन्सलटेन्सी के रूप में अतरिक्त रू 5.32 व्यय भरित हुआा। यदि सरकारी **एजेंसी** से कार्य निष्पादित कराया गया होतां अतरिक्त अपव्यय से बचा जा सकता था एवं कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता।

अतः बिना शासन के अनुमति के रू 98.35 लाख का **निर्माण** कार्य प्राइवेट ठेकेदार से निष्पादित कराया जाना एवं कन्सलटेन्ट पर रू 5.32 लाख अतरिक्त व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 3 काशनमनी मद में विद्यार्थियों को वापस न की गयी एवं न ही विभागीय राजस्व प्राप्ति मद में जमा की गयी धनराशि रु0 2.81 लाख अवशेष के रुप में अवरुद्ध रखा जाना।

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार किसी नुकसान की भरपाई के लिए प्रशिक्षणार्थियों से नामांकन के समय रु0 50 प्रति छात्र की दर से काशन मनी के रुप में वसूल कर जमा किया जाएगा। छात्रों द्वारा किसी प्रकार के नुकसान किये जाने पर इस काशन मनी से उसकी वसूली की जाएगी। छात्रों के उत्तीर्ण होने पर संस्थान छोडने के समय उक्त काशन मनी की धनराशि को छात्रों को वापस की जाएगी। छात्रों को वापस न की गयी तीन वर्ष से अधिक पूर्व के अवधि की धनराशि शासन के प्राप्ति मद में जमा कर दिया जाना चाहिए।

प्रधानाचार्य, राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी के काशन मनी से सम्बन्धित अभिलेखों यथा काशन मनी पंजिका एवं बैंक पासबुक की जॉच में पाया गया कि उत्तीर्ण होकर जाने वाले सभी छात्रों को संस्थान द्वारा काशन मनी की धनराशि वापस नहीं की जा रही थी। काशन मनी से सम्बन्धित बैंक खाता संख्या 10840564829 की जॉच में पाया गया कि माह दिसम्बर 2018 में उक्त खाते में रु0 2,80,883 की धनराशि अवशेष के रुप में जमा थी। इसके अतिरिक्त काशन मनी पंजिका के अनुसार माह दिसम्बर 2018 में रु0 1,21,800 की धनराशि अवशेष के रुप में अवशेष के रुप में जमा दर्शित है। यह जमा काशन मनी की धनराशि विगत कई वर्षो से सम्बन्धित है जो कि न तो विद्यार्थियों को लौटाई गई और न ही विभागीय लेखाशीर्ष में जमा की गयी। काशन मनी पंजिका एवं बैंक खाते में रु0 1,59,083 की धनराशि का अन्तर है। इस प्रकार से संस्थान के पास काशन मनी के रुप में वर्तमान में बैंक खाते में धनराशि रु0 2.81 लाख अवशेष के रुप में अवरुद्ध पायी गयी जिसे संस्थान द्वारा न तो सम्बन्धित विद्यार्थियों को वापस की गयी थी और न ही विभागीय राजस्व प्राप्ति मद में जमा की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि प्रवेश के समय जमा की गयी काशन मनी प्रशिक्षण पूर्ण न करने पर जब्त कर ली जाती है एवं कुछ उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उपस्थित होकर काशनमनी वापस प्राप्त न किये जाने के कारण उक्त धनराशि संस्थान के पास बनी रहती है। यह भी अवगत कराया कि संस्थान में वर्तमान सत्र एवं विगत तीन वर्षो में प्रवेशित छात्रों को छोडकर बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि आकलित कर राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

अतः काशनमनी मद में विद्यार्थियों को वापस न की गयी एवं न ही विभागीय राजस्व प्राप्ति मद में जमा की गयी धनराशि रु0 2.81 लाख अवशेष के रुप में अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
63	**2006-07**	शून्य	**01, 02, 03, 04**	**01**
66	**2013-14**	शून्य	शून्य	**01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
63/2006-07	**Part II B-01 to 04 STAN-01**	इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या के जॉचोपरान्त सभी लम्बित प्रस्तर निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गयी।		
66/2013-14	**Part II B-Nil STAN-01**			

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री एम0 एम0 कुडियाल	प्रधानाचार्य	01.05.2013 से 30.07.2017 तक
2	श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य	31.07.2017 से 16.11.2017 तक
3	पल्लवी	प्रधानाचार्य	17.11.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.